[illegible]

प्रबन्धक
[illegible] महिला महाविद्यालय
[illegible], गोरखपुर

न्यायालय उप जिलाधिकारी बाँसगांव, गोरखपुर ।

रनवीर	अंतर्गत धारा 143 ज0वि0 अधि0 बाबत मौजा महुआंव
बनाम	टप्पा-[illegible], परगना-उनवल, तहसील-बाँसगांव, जिला-गोरखपुर
गांवसभा	मु0नं0- 3/13

प्रस्तुत वाद रनवीर सिंह पुत्र स्व0 फौजदारी सिंह साकिन-महुआ मनोहर टप्पा-[illegible] परगना-उनवल तहसील-बाँसगांव के द्वारा अंतर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर कहा गया कि मौजा महुआंव के आ0नं0-196 रकबा 1.407 हे0 में 0.506हे0 पर महाविद्यालय भवन निर्मित है तथा चारों तरफ से पक्की चाहरदीवारी से घिरा हुआ है। उक्त भूमि का 0.506हे0 रकबा वर्तमान समय में अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त हो रहा है। उक्त आराजी नं0-196 /0.506हे0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाय। जिस पर दिनांक 04.03.13 को तहसीलदार बाँसगांव से जांच आख्या मांगी गयी, जिस पर तहसीलदार बाँसगांव द्वारा दिनांक 16.03.13 को उक्त भूमि की आ0नं0-196 रकबा 0.407हे0 में से 0.506 हे0 भूमि [illegible] महिला महाविद्यालय महुआंव[illegible] जिला गोरखपुर द्वारा अध्यक्ष श्री रनवीर सिंह पुत्र स्व0 फौजदारी सिंह साकिन-महुआ मनोहर के नाम से बैनामा किया गया है। आ0नं0-0.506हे0 भूमि पर महाविद्यालय भवन व चाहरदीवारी चारो तरफ से [illegible] निर्मित है। उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाय ।

मैंने वादकारी के अधिवक्ता की बहस सुना तथा मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

अतः तहसीलदार बाँसगांव के रिपोर्ट दिनांक 16.03.13 के आधार पर मौजा महुआंव के आ0नं0-196 मि0 रकबा 0.506हे0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है, बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दा0 दफ्तर हो।

28.5.13

उपजिलाधिकारी
बाँसगांव

दिनांक-

प्रतिलिपि [illegible]
[illegible]

सत्य - प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार,
तहसील, गोरखपुर
06-06-13

06-06-13

06-06-13

प्रबन्धक
[illegible] महिला महाविद्यालय
महुआंव-बाँसगांव, गोरखपुर

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :गोरखपुर,जनपद :गोरखपुर,तहसील :बाँसगांव
वाद संख्या :-6015/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202205310106015
रणजीत सिंह बनाम ग्राम सभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

सं0 191 रकबा 0.433हे0. भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग में लायी जा रही है। अतः उक्त रकबा को उ0प्र0रा0सं0 2006 की धारा 80(2) के अन्तर्गत सशर्त प्रख्यापित करने योग्य है।

आदेश

मौजा मझगांवा तप्पा महसीन परगना उनवल, तहसील बांसगांव गोरखपुर के फसली खतौनी वर्ष 1424 से 1429 गाटा सं0 191 रकबा 0.433हे0. में ब्रम्हेश्वरी महिला महाविद्यालय मझगांवा जरिये प्रबन्धक रणजीत सिंह पुत्र ईश्वरी सिंह सा0 डढ़वा मनोहर, तहसील बांसगांव का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है. के सम्बन्ध में तहसीलदार बांसगांव की जॉच आख्या दिनांक 23.11.2022 के अनुसार मौजा मझगांवा तप्पा महसीन परगना उनवल के गाटा सं0 191 रकबा 0.433हे0 भूमि उ0प्र0 आर्डिनेन्स 2019 दिनांक 10.03.2019 के अन्तर्गत इस शर्त के अनुसार धारा 80(2) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है कि आवेदक द्वारा उक्त भूमि में यदि 5 वर्ष के अन्दर अकृषिक घोषित प्रयोजन के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है तो अकृषिक घोषित भूमि का आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा। तहसीलदार बांसगांव की उक्त आख्या आदेश का अंग होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य कुक्कुट पालन बागवानी कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा 82 उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवम् तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अविधिक एवं फर्जी पाये जाते हैं तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं किसी मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। तदनुसार अभिलेखों में प्रविष्टि के लिये अमलदरामद परवाना जारी किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

(पवन कुमार) 17-12-22
उप जिलाधिकारी
बांसगांव

17-12-22
125
482
17-12-22
17-12-22

17-12-22

17-12-22

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी,
मण्डल :गोरखपुर,जनपद :गोरखपुर,तहसील :बाँसगांव
वाद संख्या :- 6015/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202205310106015
रणजीत सिंह बनाम ग्राम सभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

विवेचना

प्रस्तुत वाद वादी रणजीत सिंह पुत्र ईश्वरी सिंह साकिन कस्बा मनोहर, तहसील बांसगांव, जनपद गोरखपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत दर्ज किया गया। प्रश्नगत प्रकरण की अभिलेखीय परीक्षण एवं स्थलीय जाँच तहसीलदार बांसगांव से करायी गयी। तहसीलदार बांसगांव की जाँच आख्या दिनांक 23.11.2022 में उल्लेख किया गया कि मौजा मझगांवा तप्पा महसिन परगना उनवल, के फसली वर्ष 1424 से 1429 के खाता सं0 279 के गाटा सं0 191 रकबा 0.433हे0 पर ब्रम्हेश्वरी महिला महाविद्यालय मझगांवा जरिये प्रबन्धक रणजीत सिंह पुत्र ईश्वरी सिंह का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा सं0 191 रकबा 0.433हे0, भूमि किसी सरकारी योजना से आच्छादित नही है। उक्त भूमि पर वादी द्वारा खेल मैदान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नही हो रहा है। उक्त गाटा सं0 191 रकबा 0.433हे0, भूमि का मूल्यांकन जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 8600000रु0 प्रति हे0, की दर से रकबा 0.433हे0 का कुल मालियत (0.433X8600000) = 3723800रु0 (सैंतीस लाख तेईस हजार आठ सौ रूपये) का दो प्रतिशत न्याय शुल्क 74476 रु0 होता है। जिसमें आवेदक द्वारा 37238.00रु0 का जरिये चालान सं0 3201/01/LH00003 दिनांक 17.12.2022 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा बांसगांव में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत की गयी है तथा भारतीय कोर्ट फीस के स्टाम्प मु0 37240.00रु0 प्रस्तुत किये गये है। आकार पत्र 41 व 45 जो पत्रावली के साथ संलग्न है। जिसके अनुसार उक्त भूमि ग्राम सभा की नही है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बांसगांव की आख्या दिनांक 23.11.2022 व अन्य साक्ष्यों का परिशीलन किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि ब्रम्हेश्वरी महिला महाविद्यालय मझगांवा जरिये प्रबन्धक रणजीत सिंह पुत्र ईश्वरी सिंह सा0 मझगांवा तप्पा महसीन परगना उनवल, तहसील बांसगांव, जनपद गोरखपुर के खाता सं0 279 के गाटा सं0 गाटा

P.T.O.